रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 1983/चैत्र 30, 1905
No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 1983/CHAITRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 15 ईटीसी (पी० एन०) /83

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1983

विषय : किरी लाख और मौलम्मा का निर्यात।

मि० सं० 16/1/81 ई. I से जारी निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 की अनुसूची-1 के खण्ड "क" की क्रम सं० 14 के परिशिष्ट की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उपर्युक्त प्रविष्टि के अनुसार छपलाख, किरी-लाख, मोलाम्मा (जिसमें डोगली सी विग भी शामिल हैं) पसेवा, लाख के बच्चे और अन्य कोई लाख जिसमें जीवित कीटाणु हों, का निर्यात निषेध है।

2. उपर्युक्त निषेध में आंशिक ढील देते हुए, भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणी वार न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन किरी-लाख और मोलम्मा को एक सीमित मात्रा में 1983-84 अवधि के लिए निर्यात की अनुमति देने का निश्चय किया गया है :--

	न्यूनतम निर्यात मूल्य (75 किलो प्रति बोरा का रुपयों में मूल्य)
किरी 1	
किरी लाख (जिसमें लाख की मात्रा 55 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच में हो)	165.00
किरी 2	
किरी लाख (जिसमें लाख की मात्रा 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच में हो)	125.00
मोलम्मा 1	
डोगाली/सीड लाख सी सिफ्स (जिसमें लाख की मात्रा 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच में हो और 30 मेशसीव पर गुजरे हुए हों)	387.00
मोलम्मा 2 का निर्यात (जिसमें लाख की मात्रा 55 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच में हो) अनुमति नहीं है।	

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 15 ETC (PN)/83

New Delhi, the 20th April, 1983

Sunject : Export of Kirilac and Molamma.

File No. 16/1/81-E.I.—Attention is invited to entry appearing at S. No. 14 of Part 'A', Schedule I to the Exports (Control) order, 1977. According to the above entry export of Sticklac, Kirilac, Molamma (including Dogalee Seivings) Pasewa, Blood lac and any lac containing living insects is banned.

2. In partial relaxation of the ban, it has been decided to allow export of a limited quantity of Kirilac and Molamma during 1983-84 through the State Trading Corporation of India subject to the following gradewise Minimum Export Prices.

	M. E.P. (Rupees per b g of 75 Kgs.
Kiri I	
Kiril c (having lac content between 55% and 65%)	165.00
Kiri II	
Kirilac (having lac content between 40% and 55%).	125.00
Molamm I	
Dogalee/seedlac scivings (having l c content between 70% and 80% and passing through a 30 mesh seive)	287.00
Export of Molamma II (with lac content 55% to 70%) is not not allowed.	

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller
Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983